कार्यालय प्रमुख अभियंता,
लोक स्वास्थ्य यॉत्रिकी विभाग,
जल भवन बाणगंगा भोपाल

क्रमांक/6/23/प्र.अ./विधि– /लो.स्वा.यां.वि./2023 भोपाल, दिनांक 29/12/2023

प्रति,

1. मुख्य अभियंता,
   लोक स्वास्थय यांत्रिकी विभाग
   भोपाल/वि./यां. भोपाल/इंदौर/जबलपुर/ग्वालियर
2. समस्त अधीक्षण यंत्री,
   लोक स्वास्थय यांत्रिकी
   मंडल.....
3. समस्त कार्यपालन यंत्री,
   लोक स्वास्थय यांत्रिकी
   खंड.....

महत्वपूर्ण

विषयः– कार्यभारित स्थापना के सेवारत/सेवानिवृत्त कर्मचारियों द्वारा क्रमोन्नत/समयमान वेतनमान का लाभ प्राप्त करने हेतु दायर किये जाने न्यायालयीन प्रकरणों में विलंब तथा अवधि बीत जाने के आधार पर तथा लिमिटेशन एक्ट के तहत माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों के आधार पर प्रतिरक्षण करने विषयक।

––0–

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विभाग के संज्ञान में ऐसे अनेको न्यायालयीन प्रकरण आये हैं जिनमें सेवारत/सेवानिवृत्त कार्यभारित स्थापना के कर्मचारियों द्वारा म.प्र.शासन सामान्य प्रशासन विभाग (वेतन आयोग प्रकोष्ठ) मंत्रालय भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ 5–4/1/वेआप्र/98 भोपाल दिनांक 27 मार्च 2001/29 मार्च 2001 को आधार बनाकर कार्यभारित वाहन चालकों के समान 12 वर्ष एवं 24 वर्ष की सेवा उपरांत दो क्रमोन्नत वेतनमान का लाभ चाहा जाता है । इस हेतु ''के.एल.असरे'' एवं ''तेजू लाल यादव'' प्रकरणों में माननीय न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों का सहारा लिया जाता है।

इसके अतिरिक्त अनेकों कार्यभारित कर्मचारियों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर कर म.प्र.शासन वित्त विभाग, मंत्रालय भोपाल द्वारा परिपत्र कं./एफ 11/1/2008/नियम/चार/भोपाल दिनांक 24 जनवरी 2008 के माध्यम से नियमित कर्मचारियों को दिये गये समयमान वेतनमान के समान ही 10,20 एवं 30 वर्ष की सेवा उपरांत तीन समयमान वेतनमानों की भी मांग की जाती रही है। म.प्र.शासन, वित्त विभाग, वल्लभ भवन, मंत्रालय, भोपाल के आदेश क्र. एफ 11–13/1661/2016/नियम/चार भोपाल दिनांक 21.09.2016 के माध्यम से कार्यभारित स्थापना में कर्मचारियों को उक्त लाभ दिनांक 01 जनवरी 2016 से दिये गये हैं किंतु कर्मचारी इन्हें कट ऑफ डेट के स्थान पर नियमित स्थापना हेतु जारी परिपत्र के आधार पर 10,20 या 30 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होने के दिनांक से चाह रहे हैं।

29/XII

अनेक न्यायालयीन प्रकरणों में न्यायालय द्वारा कर्मचारी के पक्ष में निर्णय भी पारित किये गये हैं।

इस कार्यालय द्वारा इस प्रकृति के प्रकरणों का परीक्षण किया गया है तथा यह पाया गया है कि कार्यभारित कर्मचारियों को क्रमोन्नति और समयमान वेतनमान का लाभ प्रदान करने संबंधी प्रकरण, म.प्र.शासन सामान्य प्रशासन विभाग (वेतन आयोग प्रकोष्ठ) मंत्रालय भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ 5–4/1/वेआप्र/98 भोपाल दिनांक 27 मार्च 2001/29 मार्च 2001 पर आधारित है, जिनमें कार्यभारित स्थापना के अन्य पदों पर कार्यरत कर्मचारियों द्वारा कार्यभारित वाहन चालकों के समान 12 वर्ष एवं 24 वर्ष के उपरांत उक्त परिपत्र के माध्यम से उन्हें दिये गये दो क्रमोन्नत वेतनमान का लाभ चाहा गया है। यदि उक्त परिपत्र के जारी होने के दिनांक को देखा जावे तो इन प्रकरणों में Cause Of Action वर्ष 2001 में ही उत्पन हो गया था। कार्यभारित वाहन चालकों के समान लाभ प्राप्त करने के लिये कर्मचारियों द्वारा "के.एल.असरे" (निर्णय वर्ष–2005) एवं तेजूलाल यादव (निर्णय वर्ष–2009) प्रकरण का सहारा लिया गया है। यदि इन प्रकरणों का न्यायालयीन दृष्टांतों एवं परिपत्र दिनांक 27 मार्च 2001/29 मार्च 2001 के आधार पर विश्लेषण किया जावे तो यह पाया जाता है कि :– (i) यदि परिपत्र को आधार बनाया जाये तो करीब 20 वर्षों के उपरांत एवं यदि (ii) न्यायालयीन दृष्टांतों को आधार बनाया जावे तो करीब 12–13 वर्षों के उपरांत रिट याचिकायें दायर की गई हैं, जो कि पूरी तरह से अत्यधिक विलंब से दायर प्रकरणों की श्रेणी में आती हैं।

इसके अतिरिक्त कार्यभारित कर्मचारियों द्वारा नियमित कर्मचारियों के लिये वर्ष 2008 में लागू की गई समयमान योजना (वित्त विभाग का परिपत्र क्रमांक एफ11/1/2008/नियम/चार/भोपाल दिनांक 24 जनवरी 2008) का लाभ भी अपनी रिट याचिकाओं के माध्यम से चाहा गया है। यदि परिपत्र के जारी होने के दिनांक को देखा जाये तो इस तरह के लाभों हेतु भी 12–13 वर्षो के पश्चात रिट याचिकायें दायर की गयी हैं।

इन सभी प्रकरणों का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि वित्त विभाग म.प्र.शासन द्वारा आदेश क्रमांक एफ 11–13/1661/2016/नियम/चार भोपाल दिनांक 21.09.2016 के माध्यम से, वर्ष 2008 में नियमित कर्मचारियों को दिये गये समयमान वेतनमान के लाभ को कार्यभारित कर्मचारियों हेतु लागू कर दिया था। सभी वादी कर्मचारियों को जो दिनांक 01.01.2016 की स्थिति में सेवारत थे, उक्त लाभ दिये जा चुके हैं। कर्मचारियों ने उनके लिये वर्ष 2016 में लागू की गई पॉलिसी का लाभ लेते समय अथवा पॉलिसी लागू करने के दिनांक से, वर्तमान रिट याचिकायें दायर करने के पूर्व तक, उक्त पॉलिसी के विरोध में कोई बात नहीं कही है तथा उक्त पॉलिसी को पूर्णतः स्वीकार किया है। पॉलिसी को स्वीकार करने एवं उसका लाभ लेने के 5–6 वर्षो पश्चात इस तरह के लाभ पूर्व के दिनांकों से प्राप्त करने हेतु रिट याचिकायें दायर करना किसी भी दृष्टि से न्यायसंगत नहीं है।

उपरोक्तानुसार सभी दायर प्रकरण उल्लेखित अत्याधिक विलंब से संबंध रखते हैं, तथा इसी आधार पर खारिज किये जाने योग्य हैं।

यदि इन प्रकरणों को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णित "एम.आर.गुप्ता बनाम भारत संघ के अन्य में पारित निर्णय दिनांक 21 अगस्त 1995 [1996 AIR 669]" एवं सिविल अपील क्रमांक 5151-5152 /2008 **"भारत संघ एवं अन्य बनाम तरसेम सिंह"** में पारित निर्णय

29/IX"